

भारत सरकार  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3504  
उत्तर देने की तारीख 21.12.2015

खादी कारीगर

3504. श्री दुष्यंत चैटाला:

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कर्नाटक सहित देश में खादीके परिधानों को तैयार करने के कार्य में लगे हुए कताइकारों और बुनकरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान रोजगार सहायता के रूप में कताइकारों और बुनकरों को दी गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में खादी बुनकरोंको बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने कारीगरोंको इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री  
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) कर्नाटक सहित देश में खादी उत्पादन में लगे कत्तिनों एवं बुनकरों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) राज्यवार पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रोजगार सहायता के रूप में कत्तिनों एवं बुनकरों को सरकार द्वारा दी गई राशि का ब्यौरा अनुबंध-11 में दिया गया है

(ग) और (घ) सरकार सामान्य एवं दुर्घटना मृत्यु एवं अशक्तता के लिए खादी कारीगरों को बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को (पूर्व में खादी कारीगर 'जनश्री बीमा योजना' (जेबीवाई) के रूप में जानी जाने वाली) कार्यान्वित कर रही है।

आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष के आयु समूह से संबंधित खादी कारीगरों को निम्नलिखित के लिए बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है:

i) मृत्यु (स्वाभाविक)	: 30,000.00 रु.
ii) मृत्यु (दुर्घटनाग्रस्त)	: 75,000.00 रु.
iii) अशक्तता (स्थाई)	: 75,000.00 रु.
iv) अशक्तता (आंशिक)	: 37,500.00 रु.
v) शैक्षिक लाभ (शिक्षा सहयोग योजना)	:

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईएस) सहित कक्षा IX से XII में अध्ययन करने वाले खादी कारीगरों के दो बच्चे प्रति तिमाही 300 रुपये की छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। स्कीम की प्रीमियम राशि प्रति वर्ष 100 रुपये है जिसमें हिस्सेदारी निम्न प्रकार है:

कारिगर द्वारा	12.50%
केवीआईसी द्वारा	12.50%
खादी संस्था द्वारा	25%
केंद्र सरकार द्वारा	50% (राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि)

विगत 5 वर्ष के दौरान आम आदमी बीमा योजना/जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए खादी कारीगरों की राज्यवार संख्या अनुबंध -III में दी गई है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध -I**

**दिनांक 21.12.2015केलोक सभा अनंतिम अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I**

**खादी उत्पादन में लगे कत्तिनों एवं बुनकरों की संख्या का राज्यवार ब्योरा**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
		कत्तिन	बुनकर	कत्तिन	बुनकर	कत्तिन	बुनकर	कत्तिन	बुनकर
1	जम्मू और कश्मीर	14991	2541	16111	2654	18531	2691	18531	2691
2	हिमाचल प्रदेश	5895	971	6124	987	6309	989	6309	989
3	पंजाब	33496	5907	34050	5971	34089	5979	34089	5979
4	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
5	उत्तराखंड	29925	4801	31587	4924	31611	4947	31611	4947
6	हरियाणा	38195	4981	38574	6174	38614	6184	38614	6184
7	दिल्ली	2904	951	2931	951	2978	964	2978	964
8	राजस्थान	63858	10987	64531	11011	64542	11017	64542	11017
9	उत्तर प्रदेश	311474	51574	318501	51987	321547	51999	321547	51999
10	बिहार	85949	13974	86412	14174	86413	14184	86413	14184
11	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
12	अरुणाचल प्रदेश	66	12	67	12	72	12	72	12
13	नगालैंड	1545	251	1603	261	1683	281	1683	281
14	मणिपुर	279	41	293	51	303	51	303	51
15	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
16	त्रिपुरा	335	58	359	58	379	61	379	61
17	मेघालय	53	10	74	10	75	12	75	12
18	असम	12026	1983	12494	1983	13094	2003	13094	2003
19	पश्चिम बंगाल	77450	11898	79889	12876	79891	12898	79891	12898
20	झारखंड	2786	584	3147	612	3187	645	3187	645
21	ओडिशा	2960	974	2981	1140	2981	1163	2981	1163
22	छत्तीसगढ़	6015	987	5921	1471	5997	1495	5997	1495
23	मध्य प्रदेश	4711	1011	5199	1013	5218	1017	5218	1017
24	गुजरात [दमन और द्वीप सहित]	29410	5241	30119	5414	30174	5424	30174	5424
25	महाराष्ट्र [दादर और नगर हवेली सहित]	2291	410	1945	438	2011	457	2011	457
26	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	25418	3987	26109	4102	26110	4104	26110	4104
27	कर्नाटक	30485	5147	31479	5341	31487	5314	31487	5314
28	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
29	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
30	केरल	12822	2121	13790	2389	13544	1989	13544	1989
31	तमिलनाडु	39603	5941	41108	6512	41427	6541	41427	6541
32	पुडुचेरी	0	0	0	0		0		0
33	एक प्रायद्वीप	0	0	0	0		0		0
	<b>कुल</b>	<b>834942</b>	<b>137343</b>	<b>855398</b>	<b>141045</b>	<b>862267</b>	<b>142421</b>	<b>862267</b>	<b>142421</b>

\*अनंतिम

दिनांक 21.12.2015 केलोक सभा अनंतिम अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

विगत तीन वर्ष के खादी के अंतर्गत कतिनों एवं बुनकरों के लिए रोजगार सहायता की राज्यवार राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16*	
		कतिन	बुनकर	कतिन	बुनकर	कतिन	बुनकर	कतिन	बुनकर
1	जम्मू और कश्मीर	176.76	212.37	180.76	217.17	249.42	292.76	173.41	201.03
2	हिमाचल प्रदेश	74.46	89.46	76.14	91.48	78.76	92.45	54.76	63.48
3	पंजाब	263.10	316.10	269.04	323.24	278.34	326.70	193.51	224.33
4	चंडीगढ़	0.09	0.11	0.09	0.11	0.11	0.12	0.08	0.08
5	हरयाणा	990.03	1189.46	1012.40	1216.34	1075.38	1262.24	747.64	866.74
6	दिल्ली	51.20	61.51	52.35	62.90	54.33	63.77	37.77	43.79
7	राजस्थान	844.58	1014.71	863.66	1037.64	896.46	1052.24	623.25	722.54
8	उत्तराखंड	310.72	373.31	317.74	381.74	330.31	387.71	229.64	266.23
9	उत्तर प्रदेश	3279.11	3939.66	3353.22	4028.69	3529.33	4144.91	2453.71	2846.18
10	छत्तीसगढ़	269.74	324.08	275.84	331.40	286.17	335.90	198.95	230.65
11	मध्य प्रदेश	155.58	186.92	159.09	191.14	164.80	193.44	114.57	132.83
12	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	अरुणाचल प्रदेश	1.92	2.30	1.96	2.35	2.12	2.49	1.47	1.71
14	नगालैंड	11.51	13.83	11.77	14.14	12.20	14.32	8.48	9.83
15	मणिपुर	15.54	18.68	15.90	19.10	16.70	19.61	11.61	13.47
16	मिजोरम	0.25	0.29	0.25	0.30	0.28	0.33	0.19	0.23
17	त्रिपुरा	0.26	0.31	0.26	0.32	0.30	0.35	0.21	0.24
18	मेघालय	0.49	0.59	0.50	0.60	0.55	0.64	0.38	0.44
19	असम	140.35	168.62	143.52	172.43	151.20	177.48	105.12	121.87
20	बिहार	234.29	281.49	239.59	287.85	249.63	293.01	173.55	201.20
21	पश्चिम बंगाल	1393.58	1674.30	1425.07	1712.14	1516.79	1780.36	1054.52	1222.52
22	झारखंड	82.02	98.54	83.88	100.77	87.85	103.12	61.08	70.81
23	ओडिशा	102.12	122.69	104.42	125.46	108.39	127.22	75.36	87.36
25	गुजरात [दमन और द्वीप सहित]	726.43	872.77	742.85	892.49	827.19	970.93	575.09	666.71
26	महाराष्ट्र [दादर और नगर हवेली सहित]	90.79	109.08	92.84	111.54	96.67	113.47	67.21	77.92
27	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	आंध्र प्रदेश	493.27	592.64	504.42	606.03	396.00	464.81	275.31	319.17
29	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	141.86	166.51	98.63	114.34
31	कर्नाटक	651.68	782.95	666.41	800.65	717.97	842.73	499.16	578.68
32	केरल	435.30	522.99	445.14	534.81	468.69	550.13	325.85	377.76
33	तमिलनाडु	1308.86	1572.52	1338.44	1608.06	1419.47	1666.13	986.86	1144.08
34	पांडिचेरी	0.11	0.14	0.12	0.14	0.12	0.14	0.08	0.10
कुल		12104.14	14542.42	12377.67	14871.03	13157.39	15446.02	9147.46	10606.28

**अनुबंध -III**

**दिनांक 21.12.2015 केलोक सभा अनंतिम अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III**

**आम आदमी बीमा योजना/जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत कवर खादी कारीगरों की राजवार संख्या**

क्र.सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र/	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16* [1.8.2015 से 30.11.2015 तक]
1.	जम्मू और कश्मीर	8025	3814	3814	-
2.	हिमाचल प्रदेश	1134	1194	1194	400
3.	पंजाब	4343	4777	4777	-
4.	चंडीगढ़	0	0	0	0
5.	हरयाणा	29133	29438	29438	10933
6.	दिल्ली	873	926	926	-
7.	राजस्थान	18512	16959	16959	3228
8.	उत्तराखंड	11632	10310	10310	6660
9.	उत्तर प्रदेश	117182	123064	127767	135130
10.	छत्तीसगढ़	3009	2305	2339	-
11.	मध्य प्रदेश	1433	1315	1315	1009
12.	सिक्किम	0	0	0	0
13.	अरुणाचल प्रदेश	25	18	18	-
14.	नगालैंड	180	180	180	-
15.	मणिपुर	56	71	71	102
16.	मिजोरम	0	0	0	0
17.	त्रिपुरा	0	0	0	0
18.	मेघालय	16	16	16	29
19.	असम	3597	3973	3973	3785
20.	बिहार	6252	6736	6736	2046
21.	पश्चिम बंगाल	19232	22133	23517	-
22.	झारखंड	1614	1340	1588	603
23.	ओडिशा	2912	2817	2817	2264
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप।	0	0	0	0
25.	गुजरात भंडार। दमन और दीव	9712	10314	10314	9545
26.	महाराष्ट्र भंडार। डी एंड एनएच	967	868	950	789
27.	गोवा	0	0	0	0
28.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	7668	7802	7802	85
29.	कर्नाटक	14023	14562	15634	-
30.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
31.	केरल	9066	8792	9760	4464
32.	तमिलनाडु	10147	10332	10332	10192
33.	पुडुचेरी	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>280743</b>	<b>284056</b>	<b>292547</b>	<b>191264</b>

\*अनंतिम